अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (402) ग्रावि/अनु–5/IAY/PMAY-G/विविध/2016–17 जयपुर, दिनांक 29 जून, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्,समस्त
राजस्थान।

विषयः– वर्ष 2015–16 से पूर्व इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों की किश्त हस्तांतरण की प्रकिया के सम्बंध में आवास साफ्ट में किये गये प्रावधान के क्रम मे।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एम–12018/ 3/ 2014 – आरएच (A/C) दिनांक 23.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासागिक पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि 01 अप्रेल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एंव पूर्व के वर्षो के इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों को समस्त राशि इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म द्वारा हस्तांतरित की जावेगी। आवास साफ्ट पर रिपोर्टिग में सुधार व किश्त हस्तांतरण की प्रकिया में सहायता हेतु निम्नानुसार मॉडयूल विकसित किये गये है।

1. ब्लॉक स्तर से एक रेडिया बटन YES/NO का प्रावधान किया गया हैं। जिसकी सहायता से पूर्व में किसी लाभार्थी को भुगतान किया गया है या नही की जानकारी इन्द्राज की जानी है।
2. एफटीओ हस्ताक्षर हेतु अधिकृत द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता अर्थात विकास अधिकारी पंचायत समिति के स्तर से "False Success and False reject" के प्रकरणों के सम्बंध में मॉडयूल का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा ऐसे लाभार्थियों जिनको भुगतान मिल गया हैं परन्तु ईएफएमएस पर भुगतान नही हुआ दर्शाया जा रहा है एवं इससे विपरीत प्रकरणों की रिपोर्टीग हेतु उपयोग में लिया जाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रकिया के सम्बंध में प्राप्त पत्र सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

23/6/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

D:\Kailash ji EO\EOI (Autosaved).docx